



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या – 20485 वर्ष 2026

गुलहसन @ गुलफाम

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : श्री अजय कुमार मिश्रा

प्रतिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या = 71

माननीय न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक के आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण देते हुए एक अनुपूरक शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक की ओर से श्री अजय कुमार मिश्रा, अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से श्री पुरुषोत्तम मौर्य, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
3. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत, वाद अपराध संख्या 143/2026, धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2), 111, 115(2), 351(3), 319(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना सरधना, जनपद मेरठ में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
4. प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी माहित चौधरी द्वारा दर्ज कराई गई, जिसमें आवेदक एवं अन्य सह-अभियुक्तों को नामजद किया गया है। आरोप है कि वे लोग फर्जी दस्तावेज तैयार कर अचल संपत्तियों के संबंध में एक संगठित गिरोह संचालित करते थे। वे लोगों को कम कीमत पर संपत्ति बेचने का प्रलोभन देकर, वास्तविक स्वामियों का प्रतिरूपण करते हुए, बिक्री विलेख निष्पादित करने के बहाने अग्रिम धनराशि प्राप्त करते थे, जबकि संबंधित संपत्तियाँ अन्य व्यक्तियों की थीं।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को झूठा फँसाया गया है। उसके विरुद्ध केवल यह आरोप है कि उसने एक अनिल प्रधान नामक व्यक्ति का नाम बताया तथा कहा कि उक्त व्यक्ति के पास बड़ी संख्या में अचल संपत्तियाँ हैं और वह उन्हें उचित मूल्य पर बेचने को तैयार है। यह भी कहा गया कि आवेदक ने किसी प्रकार की धनराशि प्राप्त नहीं की। आवेदक 01.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। यह भी आश्वासन दिया गया कि यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि आवेदक एक संगठित गिरोह का सक्रिय सदस्य है, जो निर्दोष व्यक्तियों को अचल संपत्ति के हस्तांतरण का झाँसा देकर अग्रिम धनराशि प्राप्त करने जैसे आर्थिक अपराध नियमित रूप से करता है। यह

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



भी कहा गया कि आवेदक के विरुद्ध दो आपराधिक मुकदमों का इतिहास है, इसलिए वह जमानत का अधिकारी नहीं है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों तथा अभिलेख के अवलोकन के उपरांत यह स्पष्ट है कि आवेदक के विरुद्ध केवल यह भूमिका आरोपित है कि उसने वादी को अनिल प्रधान नामक व्यक्ति के पास भेजा, जिसे संबंधित संपत्ति का स्वामी बताया गया था। यह भी स्पष्ट है कि आवेदक ने स्वयं कोई धनराशि प्राप्त नहीं की। मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता पर विचार करने के उपरांत न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत का प्रथमदृष्टया आधार स्थापित कर दिया है। राज्य की ओर से ऐसा कोई युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह आशंका व्यक्त हो कि जमानत पर रिहा होने पर आवेदक साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेगा, गवाहों को प्रभावित करेगा अथवा विचारण में विलंब उत्पन्न करेगा। अतः, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना न्यायालय का मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

8. तदनुसार, यह निर्देशित किया जाता है कि आवेदक गुलहसन @ गुलफाम, वाद अपराध संख्या 143/2026, धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2), 111, 115(2), 351(3), 319(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना सरधना, जनपद मेरठ में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—

- (i). वह विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा।
- (ii). वह अभियोजन के साक्ष्यों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (iii). वह अभियोजन पक्ष के गवाहों पर किसी प्रकार का दबाव या प्रभाव नहीं डालेगा।

9. यदि उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

जून 30, 2026

आदित्य

(माननीय न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"